VIII मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2017-18 के दौरान मुद्रा प्रबंधन के अंतर्गत प्रमुख रूप से पुनर्मुद्रीकरण की प्रक्रिया और विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की प्रोसेसिंग तथा मिलान का प्रबंधन करने पर बल दिया गया। इस वर्ष की खास बात ₹10 और ₹50 की नई शृंखला के बैंक नोटों का निर्गम और एक नए मूल्य वर्ग ₹200 के नोट की शुरुआत रही। महात्मा गांधी (नवीन) शृंखला में देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाते हुए नए बैंक नोटों का निर्गम किया गया। सुरक्षा के उत्कृष्ट विशेषताओं वाले बैंक नोटों के उत्पादन को स्वदेशीकरण की दिशा में अनवरत प्रयास किए गए।

VIII.1 वर्ष 2017-18 के दौरान मुद्रा प्रबंधन का फोकस व्यापक तौर पर संचलन के माध्यम से रिज़र्व बैंक को प्राप्त एसबीएन के पुनर्मुद्रीकरण की प्रोसेसिंग और समायोजन पर रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम विभाग के कार्य-बल द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों से एसबीएन की प्रोसेसिंग और सत्यापन जैसे बड़े कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस प्रक्रिया में मुद्रा प्रबंधन से जुड़े अन्य कार्यों के साथ समझौता किए बिना अत्यधिक कठिन स्थितियों में दो-दो शिफ्टों में काम करना, विस्तृत रिकार्डों का रखरखाव करना और कारगर योजनाएं बनाना भी शामिल था। वर्ष के दौरान पुनर्मुद्रीकरण के निरंतर प्रयास किए जाते रहे और इसी वर्ष नई शृंखला वाले ₹10 और ₹50 के बैंक नोटों का निर्गम और ₹200 के नए मूल्यवर्ग के नोट की शुरुआत हुई।

मुद्रा की प्रवृत्तियां

संचलनगत बैंकनोट

VII.2 विगत वर्ष की तुलना में मार्च 2018 के अंत में संचलनगत बैंक नोटों का मूल्य 37.7 प्रतिशत बढ़कर ₹18,037 बिलियन हो गया। यद्यपि बैंक नोटो की मात्रा में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्य की दृष्टि से देखें तो ₹500 और ₹2000 के बैंक नोटों का सम्मिलित हिस्सा मार्च 2017 के अंत में संचलनगत बैंक नोटों के कुल मूल्य का 72.7 प्रतिशत था, जो मार्च 2018 के अंत में बढ़कर 80.2 प्रतिशत हो गया। मार्च 2018 के अंत तक शुरू हुए नए ₹200 के बैंक नोटों का हिस्सा संचलनगत बैंक नोटों के कुल मूल्य का 2.1 प्रतिशत था। हिस्सेदारी की दृष्टि से देखें तो संचलनगत कुल बैंक नोटों में ₹10 और ₹100 के बैंक नोटों का हिस्सा मार्च 2017 के अंत में 62.0 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2018 के अंत में 51.6 प्रतिशत हो गया (सारणी VIII.1)।

सारणी VIII.1: संचलनगत बैंक नोट

मूल्यवर्ग (₹)	संख्या (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018
1	2	3	4	5	6	7
2 और 5	11,626	11,557	11,425	45	45	44
	(12.9)	(11.5)	(11.2)	(0.3)	(0.3)	(0.2)
10	32,015	36,929	30,645	320	369	307
	(35.5)	(36.8)	(29.9)	(1.9)	(2.8)	(1.7)
20	4,924	10,158	10,016	98	203	200
	(5.4)	(10.2)	(9.8)	(0.6)	(1.5)	(1.1)
50	3,890	7,113	7,343	194	356	367
	(4.3)	(7.1)	(7.2)	(1.2)	(2.7)	(2.0)
100	15,778	25,280	22,215	1,578	2,528	2,222
	(17.5)	(25.2)	(21.7)	(9.6)	(19.3)	(12.3)
200	-	-	1,853	-	-	371
	-	-	(1.8)	-	-	(2.1)
500	15,707	5,882	15,469	7,854	2,941	7,734
	(17.4)	(5.9)	(15.1)	(47.8)	(22.5)	(42.9)
1000	6,326	89	66	6,326	89	66
	(7.0)	(...)	(...)	(38.6)	(0.7)	(0.4)
2000	-	3,285	3,363	-	6,571	6726
	-	(3.3)	(3.3)	-	(50.2)	(37.3)
कुल	**90,266**	**100,293**	**102,395**	**16,415**	**13,102**	**18,037**

-: लागू नहीं। ...: नगण्य।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत: भारिबैं।

संचलनगत सिक्के

VIII.3 वर्ष के दौरान संचलनगत सिक्कों में मार्च 2017 के अंत की स्थिति की तुलना में थोड़ी वृद्धि हुई। पिछले साल के 14.7 प्रतिशत की तुलना में 2017-18 के दौरान संचलनगत सिक्कों के कुल मूल्य में 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि संचलनगत सिक्कों की कुल हिस्सेदारी में विगत वर्ष के 8.5 प्रतिशत की तुलना में 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार संचलनगत कुल सिक्कों में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्कों का सम्मिलित हिस्सा 83.3 प्रतिशत रहा, जबकि मूल्य की दृष्टि से इनका हिस्सा 77.7 प्रतिशत रहा (सारणी VIII.2)।

मुद्रा प्रबंधन के लिए आधारभूत ढांचा

VIII.4 मुद्रा प्रबंधन संबंधी आधारभूत ढांचे के तहत रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों का नेटवर्क, 3,975 करेंसी चेस्ट (उप-ट्रेजरी कार्यालय और कोच्ची स्थित रिज़र्व बैंक के करेंसी चेस्ट सहित), देश भर में फैले वाणिज्यिक, सहकारी और

सारणी VIII.2: संचलनगत सिक्के

मूल्यवर्ग (₹)	संख्या (मिलियन नग)			मूल्य (₹ बिलियन)		
	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2018
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	14,788	14,788	14,788	7	7	7
	(13.8)	(12.7)	(12.4)	(3.2)	(2.8)	(2.7)
1	44,876	48,347	49,636	45	48	50
	(41.9)	(41.6)	(41.7)	(20.6)	(19.2)	(19.5)
2	29,632	32,059	32,855	59	64	66
	(27.7)	(27.6)	(27.6)	(27.1)	(25.6)	(25.8)
5	14,089	15,783	16,650	70	79	83
	(13.2)	(13.6)	(14.0)	(32.1)	(31.6)	(32.4)
10	3,703	5,205	5,049	37	52	50
	(3.4)	(4.5)	(4.2)	(17.0)	(20.8)	(19.5)
कुल	**107,088**	**116,182**	**118,978**	**218**	**250**	**256**

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
२. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण यह संभव है कि कोष्ठकों में दी गयी संख्याओं का योग 100 न हो।

स्रोत: भारिबैं।

सारणी VIII.3: मार्च 2018 के अंत तक की स्थिति के अनुसार करेंसी चेस्ट और छोटे सिक्कों के डिपो

श्रेणी	करेंसी चेस्टों की संख्या	छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	2,575	2,447
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,206	1,022
निजी क्षेत्र के बैंक	172	168
सहकारी बैंक	5	5
विदेशी बैंक	4	4
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7	7
उप कोष कार्यालय (एसटीओ)	5	0
भारतीय रिज़र्व बैंक	1	1
कुल	**3,975**	**3,654**

स्रोत: भारिबैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के छोटे सिक्कों के 3,654 डिपो शामिल हैं (सारणी VIII.3)।

मुद्रा की मांग और आपूर्ति

VIII.5 विमुद्रीकरण के कारण वर्ष 2016-17 विशेष रहा और इसका असर 2017-18 में भी बना रहा। इसी के चलते वर्ष 2017-18 में मुद्रा की मांग पिछले वर्ष की तुलना में 9.1 प्रतिशत अधिक रही। यद्यपि बैंक नोटों की आपूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में कम रही फिर भी वह विमुद्रीकरण से पूर्व के वर्ष से काफी अधिक थी (सारणी VIII.4)।

VIII.6 वर्ष के दौरान सिक्कों की मांग और आपूर्ति काफी कम रही। वर्ष 2017-18 में केवल 5,852 मिलियन सिक्कों की आपूर्ति की गयी जबकि मांग 7,712 मिलियन सिक्कों की थी। तुलनात्मक रूप से देखें तो वर्ष 2016-17 में 9,691 मिलियन सिक्कों की आपूर्ति की गयी जबकि मांग 15,000 मिलियन सिक्कों की थी (सारणी VIII.5)।

VIII.7 नवंबर 2016 से देश की सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों को दर्शाने वाले महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंक नोटों का निर्गम प्रारंभ हुआ। वर्ष के दौरान ₹2000 और ₹500 मूल्यवर्ग के पिछले वर्ष जारी किए गए

सारणी VIII.4: बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा बैंक नोट की मांग और आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग (₹)	2015-16		2016-17		2017-18	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
5	0	0	0	0	0	0
10	4,000	5,857	3,000	2,785	4,237	4,313
20	5,000	3,252	6,000	4,118	2,458	2,051
50	2,050	1,908	2,125	2,700	3,784	2,793
100	5,350	4,910	5,500	5,738	8,068	3,170
200	-	-	-	-	2,694	2,832
500 (एमजी शृंखला)	5,600	4,291	5,725	2,013	-	-
500 (नया डिज़ाइन)	-	-	-	7,260	9,213	9,693
1000	1,900	977	2,200	925	-	-
2000	-	-	3,500	3,504	151	151
कुल @	**23,900**	**21,195**	**28,050**	**29,043**	**30,605**	**25,003**

-: लागू नहीं। **@:** कुल जोड़ में ₹1 शामिल नहीं है।
टिप्पणी: बीआरबीएनएमपीएल: भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड।
एसपीएमसीआईएल: भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड।
स्रोत: भारिबैं।

बैंक नोटों के क्रम में उसी शृंखला के ₹200, ₹50 और ₹10 मूल्यवर्ग के बैंकनोट भी जारी किए गए (सारणी VIII.6)।

गंदे नोटों का निपटान

VIII.8 वर्ष के दौरान 27.7 बिलियन बैंक नोटों का निपटान किया गया जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 12.5 बिलियन थी। इसका मुख्य कारण यह रहा कि ₹500 और ₹1000 मूल्यवर्ग के एसबीएन नोटों की प्रोसेसिंग तेजी से हुई (सारणी VIII.7)।

बैंकिंग प्रणाली में जाली नोट पाए जाने की प्रवृत्ति

VIII.9 वर्ष 2017-18 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में पाए गए जाली नोटों की संख्या 522,783 थी जिसमें से 63.9 प्रतिशत नोटों का पता रिज़र्व बैंक से भिन्न बैंकों ने लगाया (सारणी

सारणी VIII.5: टकसालों द्वारा सिक्कों की मांग और आपूर्ति (अप्रैल-मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग	2015-16		2016-17		2017-18	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
50 पैसे	40	30	30	30	-	-
₹1	6,100	3,753	6,300	3,548	1,830	2,008
₹2	4,000	2,899	4,200	2,461	1,184	1,539
₹5	2,100	1,492	2,270	2,429	1,698	1,545
₹10	2,000	1,084	2,200	1,223	3,000	760
कुल	**14,240**	**9,258**	**15,000**	**9,691**	**7,712**	**5,852**

-: लागू नहीं।
स्रोत: भारिबैं।

सारणी VIII.6: महात्मा गांधी (नई) शृंखला के अंतर्गत बैंक नोट प्रारंभ करना

मूल्यवर्ग (₹)	पृष्ठभाग-थीम	आधार रंग	आकार
1	2	3	4
200	साँची स्तूप	चमकीला पीला	66 मिमी × 146 मिमी
50	रथ के साथ हम्पी	फ्लोरोसेंट नीला	66 मिमी x 135 मिमी
10	सूर्य मंदिर, कोणार्क	चॉकलेट भूरा	63 मिमी x 123 मिमी

स्रोत: भारिबैं।

VIII.8)। पिछले वर्ष की तुलना में जाली नोटों की संख्या 31.4 प्रतिशत कम रही। एसबीएन में पाए गए जाली नोटों की संख्या में गिरावट देखी गयी जो ₹500 मूल्यवर्ग और ₹1000 मूल्यवर्ग के नोटों में 59.7 और 59.6 प्रतिशत रही। इसका कारण यह था कि ये नोट 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों को प्राप्त एसबीएन जमाराशियों के बचे हुए हिस्से वाले थे जिन पर 2017-18 के दौरान कार्रवाई हुई। पिछले वर्ष के साथ तुलना करें तो ₹100 मूल्यवर्ग में पाए गए जाली नोटों की संख्या में 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि ₹50 मूल्यवर्ग में पाए गए जाली नोटों की संख्या में 154.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। महात्मा गांधी (नई) शृंखला के ₹500 और ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमश: 9,892 और

सारणी VIII.7: गंदे बैंक नोटों का निपटान (अप्रैल – मार्च)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग (₹)	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4
1,000	625	1,514	6,847
500	2,800	3,506	20,024
100	5,169	2,586	105
50	1,349	778	83
20	849	546	114
10	5,530	3,540	497
5 तक	46	34	8
कुल	**16,368**	**12,503**	**27,678**

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या/मूल्य में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
स्रोत: भारिबैं।

सारणी VIII.8 : पकड़े गए जाली नोटों की संख्या (अप्रैल-मार्च)

(नग की संख्या)

वर्ष	रिज़र्व बैंक में पकड़े गए	रिज़र्व बैंक के अलावा अन्य बैंक	कुल
1	2	3	4
2015-16	31,765	601,161	632,926
	(5.0)	(95.0)	(100.0)
2016-17	32,432	729,640	762,072
	(4.3)	(95.7)	(100.0)
2017-18	188,693	334,090	522,783
	(36.1)	(63.9)	(100.0)

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. इसमें पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पकड़े गए जाली नोट शामिल नहीं हैं।
स्रोत: भारिबैं।

17,929 जाली नोट पाए गए जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या क्रमश: 199 और 638 थी (सारणी VIII.9)। पाए गए कुल भारतीय मुद्रा जाली नोटों (एफआईसीएन) में से रिज़र्व बैंक द्वारा पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या अधिक, अर्थात 36.1 प्रतिशत थी जबकि पिछले साल यह संख्या 4.3 प्रतिशत थी। इसका कारण यह था कि संचलन में से हटाए गए एसबीएन की बड़ी मात्रा में प्रोसेसिंग की गयी।

सारणी VIII.9: बैंकिंग प्रणाली में पकड़े गए जाली नोट मूल्य वर्ग के अनुसार (अप्रैल-मार्च)

(नगों की संख्या)

मूल्यवर्ग (₹)	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4
2 और 5	2	80	1
10	134	523	287
20	96	324	437
50	6,453	9,222	23,447
100	221,447	177,195	239,182
200	-	-	79
500 (एमजी शृंखला)	261,695	317,567	127,918
500 (नए डिज़ाइन)	-	199	9,892
1000	143,099	256,324	103,611
2000	-	638	17,929
कुल	**632,926**	**762,072**	**522,783**

-: लागू नहीं।
स्रोत: भारिबैं।

प्रतिभूति मुद्रण पर व्यय

VIII.10 इस वर्ष (जुलाई 2017-जून 2018) के दौरान प्रतिभूति मुद्रण पर कुल व्यय वर्ष 2016-17 के ₹79.65 बिलियन की तुलना में ₹49.12 बिलियन हुआ।

2017-18 के लिए कार्ययोजना: कार्यान्वयन की स्थिति

नई सुरक्षा विशेषताओं का समावेश

VIII.11 रिज़र्व बैंक द्वारा 19 जून 2015 को अधिसूचित वैश्विक अर्हता-पूर्व बोली की सूचना (पीक्यूबीएन) को वर्ष के दौरान रद्द कर दिया गया एवं 17 जुलाई 2017 को एक नया पीक्यूबीएन अधिसूचित किया गया। महात्मा गांधी (नई) शृंखला के छोटे आकार वाले बैंकनोटों को चलन में लाने एवं भारत सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता देते हुए) आदेश, 2017 के अनुसार 'मेक इन इंडिया' के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए किया गया। खरीद के लिए अधिसूचित की गयी सुरक्षा विशेषताओं में बदलते रंग एवं घूमती तस्वीरों के साथ सुरक्षा धागा, रंग बदलने वाली स्याही, फॉयल पैच, सुरक्षा फाइबर, स्याही एवं पेपर आधारित टैगेंट, उन्नत वाटरमार्क एवं माइक्रो-पर्फोरेशन शामिल हैं।

मुद्रा वितरण एवं विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा

VIII.12 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए मुद्रा परिचालन में तकनीक के उपयोग हेतु बैंकों को प्रेरित करने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की मशीनें लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देने की शुरुआत की है। मशीनों को लगाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मई 2016 में तर्कसंगत बनाया गया जिसके तहत केवल नकदी रिसाइकलर एवं कम मूल्य के नोटों का वितरण करने वाले एटीएम को लगाने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। यह देखते हुए कि इन मशीनों को लगाने का उद्देश्य व्यापक रूप से पूरा हो चुका है, इस योजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत 02 मार्च 2018 से उक्त प्रोत्साहनों को बंद कर दिया गया।

मुद्रा सत्यापन एवं प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) की खरीद

VIII.13 बैंकनोट प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 50 सीवीपीएस मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।

नोट वापसी नियमावली में संशोधन

VIII.14 पहले के नोटों की शृंखला की तुलना में नई शृंखला के भिन्न आकार वाले बैंकनोटों के आ जाने तथा ₹2000 एवं ₹200 के नए मूल्यवर्ग वाले बैंकनोटों की शुरुआत हो जाने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया। आवश्यक बदलावों को गज़ट अधिसूचना के माध्यम से अतिशीघ्र अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

वार्निश किए गए बैंकनोटों की शुरुआत करना – फील्ड परीक्षण

VIII.15 भारतीय रिज़र्व बैंक भारत सरकार से परामर्श करते हुए भारतीय बैंकनोटों को अधिक टिकाऊ बनाने की संभावनाएं तलाश रहा है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह सुझाता है कि बैंकनोट को वार्निश करके उसे टिकाऊ एवं दीर्घजीवी बनाया जा सकता है और इससे बैंकनोटों को बदलने की आवश्यकता में कमी आएगी एवं इस तरह प्रतिभूति मुद्रण पर होने वाले समग्र व्यय को कम किया जा सकेगा। वार्निश किए गए बैंकनोटों की शुरुआत फील्ड परीक्षण के आधार पर करने का प्रस्ताव किया गया है।

उच्च स्तरीय समितियों का गठन

VIII.16 दिनांक 04 अक्तूबर 2016 को चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार मार्गस्थ खजाने की संपूर्ण सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा दो समितियों यथा- मुद्रा भंडारण एवं आवाजाही पर बनी उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीसीएसएम) (अध्यक्ष : श्री एन. एस. विश्वनाथन, उप गवर्नर) एवं मुद्रा आवाजाही पर बनी समिति (सीसीएम)

(अध्यक्ष : श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक) द्वारा की गयी। बैंकनोट के निर्माण में अपनायी जा रही गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष : श्री सी. कृष्णन, पूर्व कार्यपालक निदेशक) का गठन भी किया गया था (बॉक्स VIII.1)। सीसीएम और विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर जारी है।

विनिर्दिष्ट बैंकनोट (एसबीएन)

VIII.17 विनिर्दिष्ट बैंकनोट (देयताओं की समाप्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार ऐसे भारतीय नागरिकों को, जो 9 नवबंर एवं 30 दिसंबर 2016 के बीच की अवधि में भारत से बाहर थे, कुछ शर्तों के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के पांच कार्यालयों (मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता और नागपुर) में से किसी भी कार्यालय में विनिर्दिष्ट बैंकनोट जमा करने हेतु अतिरिक्त अवधि प्रदान की गई थी। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, यह रियायत अवधि निवासी भारतीयों के लिए 31 मार्च 2017 तक और अनिवासी भारतीय नागरिकों के लिए 30 जून 2017 तक थी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 77,000 टेंडर्स प्राप्त हुए जिनमें से 68 प्रतिशत भुगतान के लिए उपयुक्त पाए गए।

VIII.18 वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने 12 मई 2017 को विनिर्दिष्ट बैंकनोट (जब्त नोटों को जमा करना) नियमावली, 2017 अधिसूचित की जिसके तहत 30 दिसंबर 2016 को या उसके पूर्व विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा अधिगृहीत या जब्त अथवा कोर्ट को सौंपे गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को बैंक खातों में जमा करने हेतु या उसके मूल्य को वैध मुद्रा में बदलकर बैंक के किसी भी कार्यालय में, इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार, जमा किया जा सकता है। ये नियम 30 दिसंबर 2016 के बाद जब्त या अधिगृहीत विनिर्दिष्ट बैंक नोटों पर लागू नहीं हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक में ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा करने के लिए इस नियम में कोई अंतिम तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है।

बॉक्स VIII.1

मुद्रा आवाजाही पर समितियां

वर्ष 2016-17 के लिए 04 अक्तूबर 2016 को जारी चौथे द्विमासिक नीति वक्तव्य के अनुसरण में रिज़र्व बैंक ने दो समितियों, यथा- मुद्रा भंडारण एवं आवाजाही पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीसीएसएम) एवं मुद्रा आवाजाही पर समिति (सीसीएम) - का गठन किया ताकि क्रमश: करेंसी चेस्ट स्तर तक एवं उससे आगे नए नोटों की आवाजाही की समीक्षा की जा सके। एचएलसीसीएसएम ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस बीच समिति को सहयोग प्रदान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ की नियुक्ति भी की गई है। सीसीएम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें इसने भारत में खुदरा मुद्रा संचलन प्रणाली को अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने के उपाय सुझाए हैं। समिति ने करेंसी चेस्टों के उन्नयन और नकदी आवाजाही के लिए सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में भी सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों का एक दल

मुद्रा प्रबंधन केंद्रीय बैंक के रूप में रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों में से एक है। बैंक की जिम्मेदारी है कि वह बैंकनोटों की गुणवत्ता एवं उनकी विश्वसनीयता तथा बैंक के प्रति जनता में विश्वास को बनाए रखे। बैंकनोटों के जारीकर्ता के रूप में रिज़र्व बैंक को यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्ता नियंत्रण, प्रिंटिंग प्रेसों - बीआरबीएनएमपीएल (बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) एवं एसपीएमसीआईएल (भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी) दोनों - में मुद्रण के संबंध में अपनायी जा रही प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं तथा प्रयोग में लायी जा रही तकनीक मानकीकृत हैं एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

नोट मुद्रण प्रेसों एवं पेपर मिलों में अपनाई जा रही गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष: श्री सी. कृष्णन, पूर्व कार्यपालक निदेशक) का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य नोट मुद्रण एवं इससे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के सभी पहलुओं की लेखापरीक्षा करना था। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें सभी प्रेसों एवं पेपर मिलों, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, के लिए कच्चे माल की खरीद, गुणवत्ता की गारंटी, नोट मुद्रण प्रक्रियाओं, सुरक्षा विशेषताओं आदि के संबंध में नये सिरे से मानकीकरण के लिए सिफारिशें की गयी हैं।

VIII.19 भारत सरकार द्वारा 20 जून 2017 को विनिर्दिष्ट बैंकनोट (बैंकों, डाकघरों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जमा किया जाना) नियमावली, 2017 को भी अधिसूचित किया गया। इस संबंध में बैंक को अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट बैंकनोट जमा करने की अनुमति दी गई थी जिसमें (i) कोई भी बैंक या डाकघर जिसने अपने ग्राहकों से 30 दिसंबर 2016 तक या उससे पहले विनिर्दिष्ट बैंकनोट प्राप्त किया हो तथा (ii) जिला सहकारी बैंक जिन्होंने अपने ग्राहकों से 10-14 नवंबर 2016 के बीच विनिर्दिष्ट बैंकनोट प्राप्त किया हो, शामिल थे। इन नियमों के तहत पात्र एसबीएन को स्वीकार करने की यह सुविधा रिज़र्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 19 जुलाई 2017 तक उपलब्ध थी।

VIII.20 प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों का सत्यापन, उनकी गणना और प्रोसेसिंग अत्याधुनिक हाई स्पीड मुद्रा सत्यापन और प्रॉसेसिंग प्रणाली (सीवीपीएस) के जरिए की गयी ताकि उनकी संख्या और उनके असली होने का सत्यापन किया जा सके और श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग प्रणाली द्वारा इन नोटों को कतरने और ब्रिकेटिंग का कार्य भी किया गया। रात्रिकालीन पारी (दिन की पारी सहित) में कार्य करके, सप्ताह में 6 दिन काम करते हुए और वाणिज्यिक बैंकों के पास उपलब्ध 8 अतिरिक्त मशीनों को उपयोग में लेते हुए तथा 7 अन्य मशीनें वेंडरों से किराए पर लेते हुए प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाया गया। अधिशेष विनिर्दिष्ट बैंकनोट रखने वाले निर्गम सर्कलों से एसबीएन को हटाकर अधिशेष नोटों की प्रोसेसिंग करने में सक्षम निर्गम सर्कलों में भेजा गया ताकि बैंक के सभी निर्गम कार्यालयों में प्रोसेसिंग का काम लगभग एक साथ पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी केंद्रों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। कुल मिलाकर ₹15,310.73 बिलियन मूल्य के विनिर्दिष्ट बैंकनोट संचलन से वापस आए।

जन जागरूकता अभियान

VIII.21 सिक्कों के संबंध में जनता के मन में भ्रम और डर दूर करने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान एसएमएस जागरूकता अभियान चलाया। रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ₹10 के विभिन्न डिजाइन वाले सिक्कों की वैधता संबंधी विशेषता को भी बार-बार बताया गया।

2018-19 के लिए कार्ययोजना

ई-कुबेर का कार्यान्वयन

VIII.22 भारतीय रिज़र्व बैंक और करेंसी चेस्टों में वर्तमान में मुद्रा परिचालनों से संबंधित इन्वेंटरी के प्रबंधन, मुद्रा तिजोरी लेन-देन की रिपोर्टिंग और उसका लेखा-जोखा रखना, एमआईएस रिपोर्टें जेनरेट करना *इत्यादि* कार्य एकीकृत कंम्प्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन एवं प्रबंधन प्रणाली (आइकॉम्स) के माध्यम से किए जा रहे हैं। आइकॉम्स के स्थान पर अब बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) के अंतर्गत बनाए गए मुद्रा प्रबंधन मॉड्यूल को लाया जा रहा है जिससे इन्वेंटरी प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सकेगा, करेंसी चेस्ट लेने-देनों का सुविधाजनक एवं लगभग वास्तविक लेखांकन किया जा सकेगा, संचलनरत मुद्रा का बेहतर आकलन हो सकेगा और मुद्रा तिजोरियों, रिज़र्व बैंक के लिंक कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी संबंधित क्रियाकलापों को कवर किया जा सकेगा।

बैंकनोट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला

VIII.23 बैंकनोट के उत्पादन से संबंधित प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा के लिए बने विशेषज्ञ दल (अध्यक्ष: श्री सी. कृष्णन) की सिफारिशों के आधार पर, मुद्रा प्रबंध विभाग ने बैंक नोटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुंबई में एक प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

बैंकनोटों के हैंडलिंग की प्रक्रिया को स्वचालित बनाना

VIII.24 बैंक नोटों की भारी मात्रा की वर्तमान में हैंडलिंग / भविष्य में की जाने वाली हैंडलिंग को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और स्वचालित प्रणालियों का समावेश करते हुए देश में मुद्रा प्रबंधन के इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को अद्यतन किया जाए। रिज़र्व बैंक उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए प्रक्रियाओं को मशीनीकृत करने की संभावनाएं तलाशेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)

VIII.25 देश में बैंक नोटों के मुद्रण की क्षमता को बढ़ाने के लिए 1995 में स्थापित रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीआरबीएनएमपीएल ने मुद्रा प्रबंधन के कार्यनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने में अत्यधिक योगदान दिया है। वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों में महात्मा गांधी (नई) शृंखला के बैंकनोट की देश के भीतर डिजाइनिंग, लगातार व्यापक स्वचालन और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के साथ रिज़र्व बैंक को प्राप्त कुल बैंक नोटों की लगभग दो तिहाई की आपूर्ति करना शामिल है। भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के साथ बीआरबीएनएमपीएल ने बैंकनोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है जो बैंकनोट की छपाई के लिए आवश्यक सिलेंडर वॉटरमार्क बैंकनोट (सीडब्ल्यूबीएन) पेपर बनाने वाली एक इकाई है। बीआरबीएनएमपीएल ने मैसूर में एक स्याही कारखाना स्थापित किया है जो बहुत जल्द बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ करेगा।